बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–:::कार्यालय आदेश:::–

का0आ0–15/बि0स0से–01–01/2018 सा0प्र0................./, पटना–15, दिनांक...............................

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 8274 दिनांक 07.07.2017 द्वारा निर्गत विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक 29.06.2017 को आहूत बैठक की कार्यवाही में चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–186 दिनांक 23.08.2017 द्वारा दस सेवा निवृत सहायकों को योगदान की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए नियोजित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(2)(ख(v) में निहित प्रावधान के तहत संविदा पर नियोजित सहायकों की सेवा अवधि विस्तार से संबंधित भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत निम्नांकित संविदा सहायकों को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम–6 में वर्णित अवधि विस्तार की तिथि तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0 सं0	संविदा सहायक का नाम	जन्म तिथि/	सेवानिवृत्ति की तिथि	संविदा समाप्त होने की तिथि	अवधि विस्तार की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री महानन्द रजक	11.02.1954	28.02.2014	22.08.2018	23.08.2018 से 10.02.2019 तक
2	श्री सुरेश शर्मा	19.12.1953	31.12.2013	24.08.2018	25.08.2018 से 18.12.2018 तक
3	श्री वासुकीनाथ मिश्र	03.11.1955	30.11.2015	23.08.2018	24.08.2018 से 23.08.2019 तक
4	श्री विशेश्वर सिंह	02.09.1954	30.09.2014	27.08.2018	28.08.2018 से 26.08.2019 तक
5	श्री विजय कुमार सिंह	09.01.1955	31.01.2015	22.08.2018	23.08.2018 से 22.08.2019 तक

2) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

3) संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

5) इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/–

(शिव महादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/ बि0स0से–01–01/2018 सा0प्र0....................../, पटना–15, दिनांक....................................

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–22 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित संविदा सहायक, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/ बि0स0से–01–01/2018 सा0प्र0...325.../, पटना–15, दिनांक...09-8-18...

प्रतिलिपिः– आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.8.18

सरकार के अवर सचिव।